



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 366

दर्ज तिथि:-09.11.2022

1. अणसी देवी पत्नी जेठाराम
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

1. उदा पुत्र नाथा
2. गिरधारी पुत्र नाथा
3. पांचा पुत्र नाथा
4. बाबु पुत्र नाथा
5. तेजा पुत्र नाथा फौत के कायम मुकाम
5/1 हरू पुत्र तेजा
5/2 हितेश पुत्र तेजा
5/3 अशोक पुत्र तेजा
5/4 झमु पत्नी तेजा
6. कालुराम पुत्र जवाराराम
7. मोडुराम पुत्र जवाराराम
8. बबरी पत्नी जवाराराम
9. जेठा पुत्र आदु
10. नरसी पुत्र आदु
11. पता पुत्र आदु फौत के वारिसान
11/1 चुनाराम पुत्र पता
11/2 नानजी पुत्र पता
11/3 सुन्दर पत्नी पता

12. पुरखा पुत्र अजा

जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवन विश्नोई



अणसी बनाम उदा

2022 / 366

निर्णय दिनांक:-28.04.2025

प्रतिवादीगण:- श्री जगदीश कडवासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

तथा

वाद संख्या:- 2024 / 123

दर्ज तिथि:-23.03.2024

1. कालूराम पुत्र जवाराराम
2. मोडुराम पुत्र जवाराराम
3. बबरी देवी पत्नी जवाराराम
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अणसी देवी पत्नी जेठाराम
2. जेठा पुत्र आदु
3. पुरखा पुत्र अजा
4. नरसी पुत्र अजा
5. उदाराम पुत्र नाथाराम
6. गिरधारी पुत्र नाथा
7. तेजाराम पुत्र नाथाराम फौत के कायम मुकाम
7 / 1 झमका पत्नी तेजाराम
8. पांचाराम पुत्र नाथाराम
9. बाबुराम पुत्र नाथाराम
10. सांवलाराम पुत्र जोगाराम
11. धनाराम पुत्र जोगाराम
12. टीपु पत्नी जोगा
13. सुन्दर पत्नी पता
14. नानजी पुत्र पता
15. चूना पुत्र पता
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

16. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश कडवासरा

प्रतिवादीगण:- श्री हरीश चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-28.04.2025

1. प्रकरण संख्या 2022 / 366 एवं 2024 / 123 हमफीता होने एवं समान विषयवस्तु के साथ समान आराजी के होने के कारण दोनों प्रकरणों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 945 / 2.4686 है0, 945 / 1 / 0.00324 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी तथा 1011 / 0.1862 है0, 1012 / 0.5423 है0, 1012 / 2 / 3.5774 है0, वाके ग्राम मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरीये आसलतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्तागण द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के साथ प्रतिवादीगण की आराजी का भी बंटवारा किया जावे। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.08.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. / 2025 / 426 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. / 2025 / 426 दिनांक 20.03.2025 अनुसार दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. / 2025 / 426 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा राजस्थान

काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 06.03.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 990-1010 दिनांक 08.11.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.11.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 990-1010 दिनांक 08.11.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.11.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

4. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 945/2.4686 है0, 945/1/0.00324 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी तथा 1011/0.1862 है0, 1012/0.5423 है0, 1012/2/3.5774 है0, वाके ग्राम मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकारान की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।
6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 945/2.4686 है0, 945/1/0.00324 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी तथा 1011/0.1862 है0, 1012/0.5423 है0, 1012/2/3.5774 है0, वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अणसीदेवी पत्नी जेटाराम जाति भील सा0 देह	भीलों की ढाणी	945	0.6171	बा0दो0
	मौखावा	1012/2	0.2881	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.9052 है0				
नरसी पुत्र अजा जाति भील सा0 देह	भीलों की ढाणी	945	0.9227	बा0दो0
		1012	0.1052	बा0दो0
	मौखावा	1012/2	0.2023	बा0दो0
		1014	1.8454	बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 3.0756 है0				
पुरखा पुत्र अजा जाति भील सा0 देह	मौखावा	1012/2	1.1735	बा0दो0
		1014	1.7806	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.9541 है0				

कालूराम पुत्र जवाराराम मोडूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जाति भील सा0 देह	भीलों की ढाणी मौखावा	945 1012 1012 / 2 1012 / 2	0.9288 0.1488 0.1942 0.2590	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 1.5308 है0				
जेठा पुत्र आदू जाति भील सा0 देह	मौखावा	1011 1012 / 2 1014	0.1376 0.4209 0.9793	गै0मु0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 1.5378 है0				
उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा जाति भील सा0 देह	मौखावा	1012 / 2 1014	0.1942 1.3435	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.5377 है0				
चूना पुत्र पता नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता कौम भील सा0 देह	मौखावा	1012 / 2 1014	0.1942 1.2869	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.4811 है0				
सांवलाराम पुत्र जोगाराम धनाराम पुत्र जोगाराम टीपू पत्नी जोगाराम जाति भील सा0 देह	मौखावा	1011	0.0486	गै0मु0
कुल किता 01 रकबा 0.0486 है0				
(सांवलाराम पुत्र जोगाराम, धनाराम पुत्र जोगाराम, टीपू पत्नी जोगाराम) द्वारा बैचान-आम्बाराम पुत्र सादूलाराम जाति भील	मौखावा	1012 / 2	0.8903	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8903 है0				
पुरखा पुत्र अजा नरसी पुत्र अजा कालूराम पुत्र जवाराराम मोडूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जेठा पुत्र आदू उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा चूना पुत्र पता	मौखावा	1012 / 2 1014	0.0488 0.1781	बा0दो0 बा0दो0

नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता कौम भील				
कुल किता 02 रकबा 0.2269 है0 रास्ता हेतु				
अणसी पत्नी जेठाराम पुरखा पुत्र अजा नरसी पुत्र अजा कालूराम पुत्र जवाराराम मोडूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जेठा पुत्र आदू उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा चूना पुत्र पता नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता कौम भील	भीलों की ढाणी	945 / 1	0.0324	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0324 है0 रास्ता हेतु				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 366

दर्ज तिथि:-09.11.2022

1. अणसी देवी पत्नी जेठाराम
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. उदा पुत्र नाथा
2. गिरधारी पुत्र नाथा
3. पांचा पुत्र नाथा
4. बाबु पुत्र नाथा
5. तेजा पुत्र नाथा फौत के कायम मुकाम
5/1 हरू पुत्र तेजा
5/2 हितेश पुत्र तेजा
5/3 अशोक पुत्र तेजा
5/4 झमु पत्नी तेजा
6. कालुराम पुत्र जवाराराम
7. मोडुराम पुत्र जवाराराम
8. बबरी पत्नी जवाराराम
9. जेठा पुत्र आदु
10. नरसी पुत्र आदु
11. पता पुत्र आदु फौत के वारिसान
11/1 चुनाराम पुत्र पता
11/2 नानजी पुत्र पता
11/3 सुन्दर पत्नी पता
12. पुरखा पुत्र अजा
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादीगण
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- श्री रामजीवन विश्नोई

अणसी बनाम उदा

2022 / 366

निर्णय दिनांक:-28.04.2025

प्रतिवादीगण:- श्री जगदीश कडवासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

तथा

वाद संख्या:- 2024 / 123

दर्ज तिथि:-23.03.2024

1. कालूराम पुत्र जवाराराम
2. मोडुराम पुत्र जवाराराम
3. बबरी देवी पत्नी जवाराराम
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अणसी देवी पत्नी जेठाराम
2. जेठा पुत्र आदु
3. पुरखा पुत्र अजा
4. नरसी पुत्र अजा
5. उदाराम पुत्र नाथाराम
6. गिरधारी पुत्र नाथा
7. तेजाराम पुत्र नाथाराम फौत के कायम मुकाम
7 / 1 झमका पत्नी तेजाराम
8. पांचाराम पुत्र नाथाराम
9. बाबुराम पुत्र नाथाराम
10. सांवलाराम पुत्र जोगाराम
11. धनाराम पुत्र जोगाराम
12. टीपु पत्नी जोगा
13. सुन्दर पत्नी पता
14. नानजी पुत्र पता
15. चूना पुत्र पता
जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

16. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश कडवासरा

प्रतिवादीगण:- श्री हरीश चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—:पर्चा डिक्री:—

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 945/2.4686 है0, 945/1/0.00324 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी तथा 1011/0.1862 है0, 1012/0.5423 है0, 1012/2/3.5774 है0, वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अणसीदेवी पत्नी जेठाराम जाति भील सा0 देह	भीलों की ढाणी	945	0.6171	बा0दो0
	मौखावा	1012 / 2	0.2881	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.9052 है0				
नरसी पुत्र अजा जाति भील सा0 देह	भीलों की ढाणी मौखावा	945	0.9227	बा0दो0
		1012	0.1052	बा0दो0
		1012 / 2	0.2023	बा0दो0
		1014	1.8454	बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 3.0756 है0				
पुरखा पुत्र अजा जाति भील सा0 देह	मौखावा	1012 / 2	1.1735	बा0दो0
		1014	1.7806	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.9541 है0				
कालूराम पुत्र जवाराराम मोडूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जाति भील सा0 देह	भीलों की ढाणी मौखावा	945	0.9288	बा0दो0
		1012	0.1488	बा0दो0
		1012 / 2	0.1942	बा0दो0
		1012 / 2	0.2590	बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 1.5308 है0				
जेठा पुत्र आदू जाति भील सा0 देह	मौखावा	1011	0.1376	गै0मु0
		1012 / 2	0.4209	बा0दो0
		1014	0.9793	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 1.5378 है0				
उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा जाति भील सा0 देह	मौखावा	1012 / 2	0.1942	बा0दो0
		1014	1.3435	बा0दो0

कुल किता 02 रकबा 1.5377 है0				
चूना पुत्र पता नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता कौम भील सा0 देह	मौखावा	1012 / 2 1014	0.1942 1.2869	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.4811 है0				
सांवलाराम पुत्र जोगाराम धनाराम पुत्र जोगाराम टीपू पत्नी जोगाराम जाति भील सा0 देह	मौखावा	1011	0.0486	गै0मु0
कुल किता 01 रकबा 0.0486 है0				
(सांवलाराम पुत्र जोगाराम, धनाराम पुत्र जोगाराम, टीपू पत्नी जोगाराम) द्वारा बैचान-आम्बाराम पुत्र सादूलाराम जाति भील	मौखावा	1012 / 2	0.8903	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8903 है0				
पुरखा पुत्र अजा नरसी पुत्र अजा कालूराम पुत्र जवाराराम मोडूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जेठा पुत्र आदू उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा चूना पुत्र पता नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता कौम भील	मौखावा	1012 / 2 1014	0.0488 0.1781	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.2269 है0 रास्ता हेतु				
अणसी पत्नी जेठाराम पुरखा पुत्र अजा नरसी पुत्र अजा कालूराम पुत्र जवाराराम मोडूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जेठा पुत्र आदू उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा चूना पुत्र पता	भीलों की ढाणी	945 / 1	0.0324	बा0दो0

नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता कौम भील				
कुल किता 01 रकबा 0.0324 है0 रास्ता हेतु				

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो।
खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

